भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-186
उत्तर देने की तारीख-04/12/2023

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

186. श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः
श्री संजय जाधवः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है और इसे किस प्रकार से लागू किया गया है;
(ख) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार देश में आगामी शैक्षणिक सत्र में शिक्षा और परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) नीति की शुरुआत के बाद से पैटर्न किस हद तक बदला गया है;
(घ) क्या इसका असर बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों पर पड़ेगा और बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का ख्याल कैसे रखा जाएगा;
(ङ) क्या सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए स्कूल में छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित करने की संभावना है;
(च) क्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्ड सहित राज्य शिक्षा बोर्ड और आईसीएसई उक्त के अंतर्गत शामिल किए जाएंगें; और
(छ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस नीति के कार्यान्वयन हेतु केंद्र और राज्यों द्वारा सावधानीपूर्वक योजना, संयुक्त निगरानी और सहयोगात्मक कार्यान्वयन का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में पहल करना शुरू कर दिया है। कार्यान्वयन के दौरान, कुछ राज्यों ने एनईपी, 2020 से संबंधित कुछेक मुद्दों पर अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं। उनकी चिंताओं को दूर करने और एनईपी कार्यान्वयन के लिए नवोन्मेषी विचारों पर चर्चा करने के लिए, समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों के साथ कार्यशालाओं/परामर्श-सह-समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य समान रूप से जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020 (**एनईपी **2020)** में इसके कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समयसीमाओं के साथ-साथ सिद्धांत और कार्यप्रणाली का प्रावधान है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को एनईपी 2020 के अनुरूप बनाया गया है। एनईपी **2020** के विभिन्न पहलू हैं जिनमें राज्यों ने समग्र शिक्षा**,** पीएम पोषण**,** स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय पहल (निष्ठा)**,** डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा)**,** जादुई पिटारा**,** अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का अंगीकरण**,** भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम**,** स्वयं विनियमन का अंगीकरण**,** चार साल के अवर स्नातक कार्यक्रम का कार्यान्वयन**,** अकादमिक कार्यक्रमों में बहु प्रवेश-निकास की पेशकश**,** पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल करना**,** विदेशी संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग की अनुमति देने आदि के माध्यम से उक्त पहलुओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(ख**)** से **(**घ**):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति**, 2020** के अनुसरण में**,** केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने स्कूलों को शिक्षा के पैटर्न के संबंध में नीति की सिफारिशों का पालन करने की सलाह दी है**:**

- योग्यता आधारित शिक्षा
- अधिगम के परिणामों का अंगीकरण
- कला एकीकृत शिक्षा, खेल एकीकृत शिक्षा, कथा वाचन आदि जैसे अनुभवात्मक और आनंददायक अधिगम शिक्षण का उपयोग
- बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान पर बल
- माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर योग्य परामर्शदाताओं को शामिल करना
- शिक्षकों की क्षमता निर्माण का प्रावधान (50 घंटे सतत व्यावसायिक विकास)

एनईपी-2020 के अनुसरण में सीबीएसई ने परीक्षाओं के पैटर्न में सुधार हेतु दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से योग्यता-आधारित प्रश्न शामिल किए हैं। इन प्रश्नों में विभिन्न प्रारूप जैसे वस्तुनिष्ठ प्रारूप, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रारूप, अभिकथन/तर्क और केस आधारित प्रारूप शामिल होते हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में, दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 40% प्रश्न और बारहवीं कक्षा में लगभग 30% प्रश्न योग्यता आधारित थे।

(ङ) से (छ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र सरकार के स्वामित्व/वित्तपोषण वाले स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसरण में, छात्रों, विश्वविद्यालयों और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर बोझ को कम करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) आयोजित की जा रही है। पाठ्यक्रम बारहवीं कक्षा के स्तर के विषय की सामान्य समझ पर आधारित है और इस प्रकार सीयूईटी की तैयारी हेतु विशेष कक्षाओं की आवश्यकता नहीं होती है।

***